



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग (भरतपुर) राज०

व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर०ए०एस०

मु०स० 39/11 राजस्व वाद

1. पीतम सिंह पुत्र स्व. अमर सिंह नजीरा केवल सिंह कौम फौजदार जाट नि० ग्राम गिरसै तहसील डीग

—वादी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील डीग जारिये राजस्थान सरकार
2. जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर

—प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88-89,
188 आर०टी०एक्ट



निर्णय

दिनांक ०९/०१/१९

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88-89, 188 के तहत इस आशय को पेश किया है कि हाल आराजी ख०न० 133/233/0.44, 134/0.57, जो पुराने गत ख०न० 6मि० में 68 बीघा, 5मि० से बनाया गया है। मिलान क्षेत्रफल सबूत मय पेश है। जो 6 $\frac{1}{2}$ बीघा के करीब होता है। जो वादी के खास बाबा स्व. केवल पुत्र जवाहर के नाम विनियम के अनुसार वादी के खास बाबा केवल पुत्र जवाहर के नाम घना गिरसै में 4 $\frac{1}{2}$ बीघा का विनियमन शुल्क लेकर हुआ था। जो राजस्थान के आदेश जिलाधीश महोदय भरतपुर के आदेश दिनांक अप्रैल 1972 12/06(15) राज०/70 के अनुसार हुआ था। परन्तु वादी के खास बाबा केवल पुत्र जवाहर की मृत्यु 10 अक्टूबर 1999 को हो गई थी। वादी का बाबा उक्त आराजी पर काश्त करता हुआ दिवंगत हुआ था। वादी के बाबा केवल पुत्र जवाहर के पांच पुत्र हैं। जिनमें से वादी के ताऊ स्व. श्री विजय सिंह की मृत्यु दिनांक 10.07.19984 को हो गई थी व वादी के पिता अमर सिंह की भी दिनांक 10.12.1988 को मृत्यु हो गई थी। वादी के

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

बाबा ने अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजी घना गिरसै को वादी के पिता स्व. अमर सिंह को पारिवारिक बँटवारे करके दे दिया था। उक्त आराजी पर मुझ वादी का कब्जा काशत है। वादी के हिस्से में आराजी है वादी के ताऊ मोतीराम व ताऊ विजयसिंह के एक मात्र पुत्र नरेन्द्र कुमार की व छोटे चाचा छोटेराम की व मेरे चाचा श्रीलाल की इसमें पूर्ण सहमति है। वादी के बाबा केवल पुत्र जवाहर के नाम विनियमन जिसमें तहसीलदार डीग के प्रस्ताव अनुसार राजस्थान सरकार के आदेश सं० एफ० 15(648) राज०/(ख) 65 जयपुर दिनांक 29.12.1966 के अनुसरण में अतिक्रमी से अतिक्रमण की गई भूमि $4\frac{1}{2}$ बीघा का मूल्य 250 प्रति बीघा की दर से 1125 रुपये देकर विनियमन करा लिया था। परन्तु तहसीलदार डीग ने वादी के बाबा केवल को राजस्व रिकॉर्ड घना गिरसै में खातेदार दर्ज नहीं किया। हाल विवादित आराजी पर खिलाफ कानून मकबूजा सरकार दर्ज है। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग पत्र सं० 65 जयपुर दिनांक 01.10.1965 जिलाधीश भतरपुर प्रति जिलाधीश महोदय भरतपुर प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.1965 ग्रामवासी प्रतिमाननीय राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर व प्रति० जिलाधीश भरतपुर सं० एफ 15(648)राज० (ख) 65 जयपुर दिनांक 29.12.1966 व प्रभारी अधिकारी (राजस्व) कार्यालय जिलाधीश भरतपुर पत्र संख्या राजस्व 19194 दिनांक 12.12.1975 पेश है। ग्राम गिरसै तहसील डीग को सरकारी भूमि पर अनाधिकृत आधिपत्य का नियमन प्रसंग-इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या 5283-5408 दिनांक 22.07.1972 तथा 5527-5582 दिनांक 25.07.1972 आपका पत्र क्रमांक 70 दिनांक 15.11.1975 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-7) विभाग जिलाधीश भरतपुर क्रमांक 10 (25 राज०) जयपुर दिनांक 16.02.1981 प्रतिलिपि पत्र क्रमांक पं० 6 (25) राज० ग्रुप-4/ -80 जयपुर दिनांक 16.12.1981 की ओर से उप शासन सचिव राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-4) विभाग निमित्त जिलाधीश भरतपुर सन्दर्भ आपका पत्र क्रमांक 1857-1858 दिनांक 23.04.1980 कार्यालय श्रीमान जिलाधीश भरतपुर के लिए सूचनार्थ आवश्यक कार्यावाही हेतु क्रमांक राजस्व 12/12/1679/795-96 दिनांक 07.03.1981 (1) उपजिलाधीश डीग (2) तहसीलदार डीग पेश की है फिर भी तहसीलदार डीग ने राजस्थान सरकार के आदेशों की अवहेलना की है। इस प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा जिलाधीश भरतपुर को व तहसीलदार डीग को घना गिरसै की भूमि पर



उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

अतिक्रमी वादी केवल ग्राम गिरसै को शुल्क लेकर विनियमन किया गया था। वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर उक्त गलत इन्दाज के आधार पर प्रतिवादीगण वादी को उसकी खातेदारी की आराजी से बेदखल कर देना चाहते हैं जबकि जिलाधीश भरतपुर का व तहसीदार डीग का ऐसा कोई आदेश राज्य सरकार ने नियमन के बाद नहीं दिया है। परन्तु वादी को विनियमित के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी से वंचित कर दिया है। राजस्व रिकॉर्ड में मकबूजा रखकर गलत घोषित कर रखा है जबकि वादी का आराजी पर दिनांक 01.07.1975 से पूर्व में भी अपनी आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी नियमन से पूर्व से ही आराजी मुत0 पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। अतः दावा वादी डिक्री फरमाया जावे कि वादी को हाल आराजी घना गिरसै के ख0न0 133/233/0.44, 134/0.57 है0 बाकै ग्राम घना गिरसै तहसील डीग पर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दावा की जबाव देही हेतु प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रति0 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित अदालत आये। पैरोकार सरकार ने अपना जबाव दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल ख0न0 133/233/0.44, 134/0.57 है0 बाकै ग्राम घना गिरसै मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के साबिक ख0न0 6मि0 में 68 बीघा व 5मि0 से निर्मित हुए हैं। जो राजस्व रिकॉर्ड में मकबूजा सरकार के खाते में दर्ज है तथा सरकारी भूमि है। उक्त आराजी कभी भी वादी एवं इसके पूर्वजो को कभी भी आंवटित /नियमन नहीं हुई है। वादी का आराजी मुत0 पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी का कथन निराधार व रिकॉर्ड से विपरीत होने के कारण सरकारी भूमि को हडपने का षडयन्त्र है। दावा वादी खारिज योग्य है। वादीगण अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है वादी का आराजी मुत0 पर कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादी को कभी भी आराजी मुत0 का नियमन नहीं हुआ है। आराजी मुत0 सरकारी भूमि है जो कि वादी व इसके पूर्वजो को कभी भी आंवटित/नियमन नहीं वादी का आराजी मुत0 पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है दावा वादी निराधार होने से खारिज योग्य है अतः दावा वादी खारिज फरमाया जावे।



उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

वादीगण के दावा व प्रतिवादी के जबाव दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :-

तनकी सं० 1.—आया वादीगण विवादित आराजीयात पर स्वयं के खातेदार काशतकार घोषित करा पाने का अधिकारी है।

तनकी सं० 2.— आया वादी साढ़े चार बीघा आराजी घना गिरसै में कीमत से विनियमन हुआ है।

तनकी सं० 3.— आया वादी के गांव गिरसै के काशतकारों के नाम घना गिरसै में से विनियमन की डिक्री/उद्घोषणा न्यायालय हाजा द्वारा की गई।

तनकी सं० 4.— आया वादी का कब्जा काशत विनियमन से पूर्व से ही चला आ रहा है।

तनकी सं० 5.—आया वादीगण विवादित आराजी बावत प्रति० को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

तनकी सं० 6.— दादरसी

वादीगण द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के वाद बहस की/वकील वादीगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :-

तनकी सं० 1 लगायत 4— इन तनकीयों को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड में नकल जमाबन्दी सं० 2067-2070 बाँके ग्राम घना गिरसै के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख०न० 133/233/0.44, 134/0.57 है० कॉलम सं० 4 में मकबूजा सरकार दर्ज रिकॉर्ड है। तथा कायम सं० 3 में भी मकबूजा सरकार दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल सं० 2040 बाँके ग्राम घना गिरसै के अवलोकन से प्रकट है कि साबिक आराजी ख०न० 6 मि० से हाल आराजी ख०न० 133/233/0.44, 134/0.57 है० बनना प्रकट है। वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा की गिरदावरी भी आराजी खाता नं० 1 की बावत है जिसके कालम



उप खण्ड अधिकारी
डी० (भरतपुर) राज.


सं० 4 में मकबूजा सरकार के नाम का अंकन है। उक्त रिकॉर्ड के अलावा वादी ने फोटो प्रतियाँ जो राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्राचार/पत्र व्यवहार की पेश कि है उनके वादी पर उनके पूर्वजों के द्वारा में किसी प्रकार के कोई अंकन नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड में वादी या उनके पूर्वजों के नाम के कोई अंकन नहीं है बल्कि तहसीलदार/पैरोकार सरकार के द्वारा प्रस्तुत जबाब दावे में अंकित कथन आराजी मुतनामा सरकारी भूमि है जो कि वादी व इसके पूर्वजों को कभी आंवटित/नियमन नहीं हुई है वादी का आराजी मुतनाजा पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दावा वादी निराधार होने से दावा खारिज योग्य है। उक्त कथन की पुष्टि होती है। इस प्रकार वादीगण अपने वाद के कथन को पुष्ट करने में असफल रहें है। इसलिए इन तनकीयातों का निर्णय विरुद्ध वादीगण किया जाता है।

तनकी सं० 5.—तनकी सं० 1 लगायत 4 का निर्णय विरुद्ध वादी हुआ है। वादी विवादित आराजी की बावत प्रति० को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अतः इस तनकी का निर्णय भी विरुद्ध वादी किया जाता है।

दादरसी — तनकी सं० 1 लगायत 5 का निर्णय विरुद्ध वादी हुआ है। इसलिए वादी का दावा काबिले खारिजी के है।


अतः आदेश है कि —

दावा वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड से पुष्ट न होने पर खारिज किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।


उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.
उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 08/01/18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.
उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इत्दाई

(ओ. 20 रू 6-7 जाप्ता दीवादी)

(Civil Procedure Code Appendix "D" I)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग (भरतपुर) राज०
व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर०ए०एस०

पीतम सिंह पुत्र स्व. अमर सिंह नजीरा केवल सिंह कौम फौजदार जाट नि० ग्राम गिरसै तहसील डीग

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील डीग जारिये राजस्थान सरकार
2. जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर

-प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88-89, 188 आर०टी०एक्ट 1955
मुकदमा नं० 39/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरु हमारे व हाजिरी अधिवक्ता मिनजानिव पक्षकारान मिनजानिव मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड से पुष्ट न होने पर खारिज किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

आजमुवलिंग.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व भाहर.....को सदी सालाना आज
की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....को
अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख..... माह..... सन्.....
को जारी की गई।



उप खण्ड अधिकारी
दस्तखत.....
डीग (भरतपुर) राज०
ओहदा.....

मीजान	रूपया	पैसे	मुद्दालय	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	2			
स्टाम्प वकालतनामा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प बजह सबूत		स्टाम्प अरजी	
महनताना वकील)पर		महनताना वकील)पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमि नर		फीस कमि नर	
बावत इजराय हुक्मनामा		बावत इजराय हुक्मनामा	
मुतफरिक	2	मुतफरिक	
मीजान		मीजान	